



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 नवम्बर 2013-अग्रहायण 8, शके 1935

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

फर्म से अलग होने की सूचना

मेसर्स द्विवेदी कन्स्ट्रक्शन एवं स्टेण्डर्ड ट्रेक्टर एजेन्सी, स्टेट बैंक के पास, पन्ना में फर्म में हिस्सेदारों के संबंध में सूचना है कि द्विवेदी कन्स्ट्रक्शन फर्म में 31 मार्च, 2013 तक निम्न हिस्सेदार थे.— 1. राजेश द्विवेदी पिता जगप्रसाद द्विवेदी, 2. संतोष द्विवेदी पिता जगप्रसाद द्विवेदी, 3. श्रीमती साधना द्विवेदी पति रावेन्द्र द्विवेदी, 4. जगप्रसाद द्विवेदी पिता भगवत प्रसाद द्विवेदी, 5. श्रीमती कमला द्विवेदी पति श्री जगप्रसाद द्विवेदी, 6. श्रीमती शकुन द्विवेदी पति राजेश द्विवेदी, 7. मनोरमा द्विवेदी पति संतोष द्विवेदी आदि हिस्सेदार थे लेकिन उक्त हिस्सेदारों में स्वेच्छा एवं सहमती से पांच लोग फर्म से अलग हो गये हैं तथा 1 अप्रैल, 2013 से फर्म से निम्न हिस्सेदार हैं जिनमें— 1. राजेश द्विवेदी पिता जगप्रसाद द्विवेदी, 2. संतोष द्विवेदी पिता जगप्रसाद द्विवेदी.

(433-बी.)

मेसर्स द्विवेदी कन्स्ट्रक्शन,
राजेश द्विवेदी,
पता—स्टेण्डर्ड ट्रेक्टर एजेन्सी,
स्टेट बैंक के पास, पन्ना (म. प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि अब्दुल रहमान फारूकी पिता श्री अब्दुल बारी, निवासी दुर्गा नगर, विदिशा में शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि मेरे पुत्र का नाम Maahin Faruqui (माहिन फारूकी) है जबकि स्कूल रिकार्ड व अन्य रिकार्ड में मेरे पुत्र का नाम Maahin Farooqui (माहिन फारूकी) लिखा हुआ है, जो गलत है. मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि मेरे पुत्र का नाम Maahin Faruqui (माहिन फारूकी) है उसे ही स्कूल रिकार्ड व अन्य रिकार्ड में लिखा जावे.

अब्दुल रहमान फारूकी,
Abdul Rehman Faruqui,
31, दुर्गा नगर, विदिशा,
(म. प्र.) पिन-464001.

(434-बी.)

CHANGE OF NAME

This is to inform that I have changed my name Bharat Kamal Sharma in place of Bharat Sharma for all Future Purpose.

OLD NAME :

(Bharat Sharma)

NEW NAME :

(Bharat Kamal Sharma)
13-Vikas Nagar, Gwalior (M.P.).

(432-B.)

विविध**आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं****कार्यालय कलेक्टर, होशंगाबाद**

होशंगाबाद, दिनांक 30 अक्टूबर, 2013

क्र./19895/वित्त/ए.एफ.सी./26/2012/13.—श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, इन्दौर की पत्र क्रमांक 1 / 9 / अन्वे. / पाँच / 2009 / 31311-53, इन्दौर, दिनांक 26 सितम्बर, 2013 के अनुसार शासकीय दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों/कर्मचारियों हेतु दिनांक 01 अक्टूबर, 2013 से प्रभावशील दरें "अनुसूची (क)" के अनुसार अधिसूचित की गई है।

मध्यप्रदेश वित्त संहिता भाग-2 के परिशिष्ट 6 के नियम-43 के प्रावधानों के अंतर्गत न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों को दिनांक 01 अक्टूबर, 2013 से अनुसूची (क) के आधार पर निम्नानुसार दरें अधिसूचित की जाती हैं। तदनुसार जिला होशंगाबाद के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों/कर्मचारियों के लिये परिवर्तनशील महंगाई भत्ते सहित मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें लागू होंगी।

अनुसूची—(क)

शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के मासिक वेतन एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें

परिवर्तनशील महंगाई भत्ता सम्मिलित है (आंकड़े रुपयों में)

श्रमिक वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महंगाई भत्ता		कुल वेतन		रुपये में राउण्ड-अप दैनिक दरें
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन
1	2	3	4	5	6	7	8
अकुशल	3070.00	102.33	2450.00	81.66	5520.00	183.99	184.00
अर्द्धकुशल	3200.00	106.66	2450.00	81.66	5650.00	188.32	188.00
कुशल	3350.00	111.66	2450.00	81.66	5800.00	193.32	193.00

इसके अतिरिक्त कृषि श्रमिकों के लिये अनुसूची "द" निम्नानुसार है:—

अनुसूची—(द)

कृषि में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील महंगाई भत्ता सम्मिलित है (आंकड़े रुपयों में)

श्रमिक वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महंगाई भत्ता		कुल वेतन		रुपये में राउण्ड-अप दैनिक दरें
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन
1	2	3	4	5	6	7	8
अकुशल कृषि श्रमिक.	2550.00	85.00	1896.00	63.20	4446.00	148.20	148.00

(644)

राहुल जैन,
कलेक्टर.

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, सागर

फार्म-4

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के द्वारा]

आवेदक श्री हरवंश कुमार गुप्ता पिता श्री रामजीलाल वैश्य, निवासी मोहननगर, वार्ड सागर श्री गणेश देव रिद्धि-सिद्धि रामजीलाल इन्द्रारानी बाई मिठया, अयोध्यावासी वैश्य ट्रस्ट, सागर (म. प्र.) तहसील सागर द्वारा नियम-4 (1) मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास विधान के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर "श्री गणेश देव रिद्धि-सिद्धि रामजीलाल इन्द्रारानी बाई मिठया अयोध्यावासी वैश्य ट्रस्ट, सागर (म. प्र.)" न्यास के पंजीयन हेतु निवेदन किया है. जिसकी सुनवाई इस न्यायालय में दिनांक 22 अक्टूबर, 2013 को प्रातः 11.00 बजे की जावेगी.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम	:	श्री गणेश देव रिद्धि-सिद्धि रामजीलाल इन्द्रारानी बाई मिठया, अयोध्यावासी वैश्य ट्रस्ट, सागर.
पता	:	निवासी मोहननगर, वार्ड सागर.
अचल सम्पत्ति	:	एक मकान, निचले तल में मंदिर श्री गणेश, माता रिद्धि-सिद्धि की प्रतिमा विराजमान. अचल सम्पत्ति का प्राक्कलित मूल्य 5,00,000.00.
अन्य चल सम्पत्ति	:	मंदिर का सामान पूजा के बर्तन कीमती, सोने, चांदी के आभूषण, लोहा, लकड़ी के साथ, चल सम्पत्ति का प्राक्कलित मूल्य 1,00,000.00.

(645)

रवीन्द्र चौकसे,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, भोपाल


प्रकरण का संक्षिप्त विवरण :-

वन परिक्षेत्राधिकारी समर्था द्वारा उनके पत्र क्रमांक 2236, दिनांक 26 जुलाई, 2013 से इस कार्यालय को अवगत कराया गया कि श्री एन. यू. हासमी, उप वनक्षेत्रपाल, तत्कालीन परिक्षेत्र सहायक समर्था को प्रदाय मार्किंग हैमर क्रमांक BPL 217 एवं फैंलिंग हैमर क्रमांक BPL 98 जो क्रमशः RDF कूप क्रमांक V घोडापछाड कक्ष क्रमांक RF-180 एवं कूप क्रमांक V प्रेमपुरा कक्ष क्रमांक RF-186 के उपयोगार्थ प्रदाय किये गये थे. उपरोक्त हैमर दिनांक 05-07-2013 को कानासैया आते समय रास्ते में गिर गये हैं. परिक्षेत्र सहायक द्वारा उक्त हैमरों की काफी खोजबीन की गई परन्तु हैमर नहीं मिले, फलस्वरूप श्री हासमी द्वारा हैमर गुम होने की प्राथमिकी रिपोर्ट दिनांक 05-07-2013 को विलखिरिया थाने में दे दी गई है. इस संबंध में श्री हासमी को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 3990, दिनांक 06-08-2013 द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया. प्रकरण में श्री हासमी द्वारा वनपरिक्षेत्राधिकारी समर्था के माध्यम से जवाब प्रस्तुत किया गया. बचाव उत्तर का परीक्षण कर जवाब को अमान्य करते हुए प्रकरण में शासकीय सम्पत्ति के रखरखाव में बरती गई लापरवाही के फलस्वरूप आदेश देता हूँ कि :-

आदेश क्रमांक/म.चि./71

भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर, 2013

वन वित्तीय नियम 124 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अनुरेखित हैमर शासकीय भण्डार एवं अभिलेख से अपलेखित किया जाता है. अनुरेखित हैमर का वर्तमान मूल्य 750/- प्रति हैमर की दर से दो हैमर का मूल्य 1,500/- (एक हजार पाँच सौ रुपये) श्री एन. यू. हासमी, उप वनक्षेत्रपाल तत्कालीन प. स. समर्था के माह सितम्बर के वेतन से एकमुश्त वसूली के आदेश दिये जाते हैं. हैमर की सुरक्षा न कर पाने के फलस्वरूप आगामी एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जाती है. सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त हैमर मिलता है तो उसे तत्काल निकटतम पुलिस थाने या वनमण्डल/वन परिक्षेत्र कार्यालय में जमा करें.



यदि कोई व्यक्ति उक्त हैमरों को अनाधिकृत रूप से रखते या उपयोग करते हुये पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की जावेगी तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्रावधानों के तहत दण्ड का भागी होगा.

(646)

एल. कृष्णमूर्ति,


वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी.

कार्यालय वन संरक्षक, पदेन वनमण्डलाधिकारी, क्षेत्रीय वनमण्डल, उमरिया

उमरिया, दिनांक 29 अक्टूबर, 2013

क्र./मा.चि./517.—सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि वन परिक्षेत्र, मानपुर को बीट हैमर प्रदाय किया गया था. वन परिक्षेत्राधिकारी, मानपुर (बफर जोन) ने पत्र क्रमांक/2117, दिनांक 15-09-2013 से इस कार्यालय को सूचित किया गया है कि श्री लोकचन्द सोनी, वनरक्षक, बीट सेमरा ने बीट वन भ्रमण के दौरान उक्त हैमर गिरकर गुम हो गया है. जिसकी रिपोर्ट थाना मानपुर में दर्ज कराया गया एवं हैमर के खोजबीन के समस्त प्रयास असफल रहे.

अतः वन वित्तीय नियम 124 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्न दर्शित गुमशुदा हैमर को स्टॉक रजिस्टर के अभिलेख से अपलेखित किया जाता है.



उक्त हैमर की कीमत 300 (तीन सौ रुपये) श्री लोकचन्द सोनी, वनरक्षक से एक मुश्त वसूल करने का आदेश दिया जाता है तथा वनरक्षक को शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने के फलस्वरूप चरित्रावली चेतावनी दी जाती है.

उपरोक्त हैमर यदि किसी व्यक्ति को मिले तो तत्काल निकटवर्ती पुलिस थाने या कार्यालय उमरिया वनमण्डल में जमा करें.

इस विज्ञप्ति के बाद यदि कोई हैमर को गुम दिनांक से अनाधिकृत रूप से रखने या प्रयोग में लाते हुये पाया गया तो उसके विरुद्ध दण्ड विधान के अनुसार कार्यवाही की जावेगी.

(647)

आर. पी. एस. बघेल,
वनसंरक्षक पदेन वनमण्डलाधिकारी.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितियां, जिला ग्वालियर

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 सी के अन्तर्गत)

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला ग्वालियर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	युवा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	डी.आर./जी.डब्ल्यू.आर./322, दिनांक 31-03-2001	परिसमापन/2012/715, दिनांक 23-05-2013
2.	नैना रैगजीन सिलाई उद्योग सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	डी.आर./जी.डब्ल्यू.आर./363, दिनांक 21-10-2003	परिसमापन/2013/1113, दिनांक 26-07-2013

सहकारी अधिनियम, की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियाँ परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं. अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर में कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 बजे से 3.00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरांत उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेडस्टॉक, संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकॉर्ड, डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं, तो सम्बंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बंधित की रहेगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 12 नवम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

(648)

संजय अग्रवाल,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक .

कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन संभाग, उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 20 नवम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18-ए/क (1) एवं (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1319.—उपायुक्त सहकारिता, जिला उज्जैन के पत्र क्र./पंजीयन/2013/2437, उज्जैन, दिनांक 25-10-2013 द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्र./पंजीयन/2013/1247, उज्जैन, दिनांक 26-10-2013 से महालक्ष्मी सहकारी साख संस्था मर्या., खाचरौद (पंजीयन क्र. 1762, दिनांक 22-12-2010) को अधिनियम की धारा-18-ए (1) के अंतर्गत संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल/सदस्यों को संस्था

के पंजीयन के समय मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-6 तथा धारा 2 (झ) का पालन नहीं किये जाने से संस्था का पंजीयन समाप्त किये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर दिनांक 06-11-2013 जवाब एवं व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत की गई थी, जिसकी सूचना म. प्र. राजपत्र में भी प्रकाशित कराई गई. नियत दिनांक को संस्था की ओर से कोई भी सदस्य, अध्यक्ष/पदाधिकारी उपस्थित न होने से पुनः अवसर दिये जाने हेतु स्मरण पत्र क्र./पंजीयन/2013/1268, उज्जैन, दिनांक 06-11-2013 जारी किया जाकर प्रकरण में दिनांक 13 नवम्बर, 2013 सुनवाई हेतु नियत की गई.

दिनांक 13-11-2013 को संस्था अध्यक्ष श्री राजेन्द्र कुमार कुमावत उपस्थित हुए. उनके द्वारा शोकॉज नोटिस की समस्त सदस्यों की तामीली रिपोर्ट पेश की गई एवं कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब दिये जाने हेतु एवं व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहा गया. जिसे स्वीकार करते हुए दिनांक 19-11-2013 जवाब एवं व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत की गई. नियत दिनांक 19-11-2013 को संस्था अध्यक्ष/संचालक मण्डल/संस्था सदस्य में से कोई भी व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुए और न ही कोई जवाब उनकी ओर से पेश किया. फैंक्स के माध्यम से जवाब हेतु आगामी माह तक का समय चाहा. चूँकि अध्यक्ष/सदस्यों को नोटिस तामीली के बाद जवाब एवं सुनवाई हेतु पर्याप्त व समुचित अवसर पूर्व में दिया जा चुका है. उनकी ओर से नियत दिनांक 19-11-2013 को कोई उपस्थित भी नहीं हुआ है. अतः समय चाहने बावत् फैंक्स से प्राप्त आवेदन अस्वीकार किया गया.

कारण बताओ सूचना-पत्र के संदर्भ में कार्यालयीन उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था का पंजीयन 20 विभिन्न परिवारों के सदस्यों से न किया जाकर 20 से कम विभिन्न परिवारों के सदस्यों को सम्मिलित करते हुए किया गया है व इस प्रकार सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-6 तथा धारा-2 (झ) के प्रावधान के विपरीत प्रवर्तक सदस्यों के द्वारा दुर्व्यपदेशन के आधार पर पंजीयन कराया गया है एवं इस बावत् पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी संस्था की ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया है. अतः उक्त विवेचन के आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना उचित है. परिणामस्वरूप मैं व्ही. पी. मारण, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन संभाग, उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियां, जो कि म. प्र. शासन की अधिसूचना म. प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 29-05-2013 के तहत मुझे प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुए संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त करता हूँ, साथ ही श्री आर. एल. परमार, सहकारिता विस्तार अधिकारी, खाचरौद को अधिनियम की धारा-18 ए/क (2) के तहत संस्था की आस्तियों की वसूली एवं दायित्वों के परिसमापन के लिए शासकीय समनुदेशिनी नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 नवम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

व्ही. पी. मारण,
संयुक्त पंजीयक.

(654)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला गुना

दिनांक 08 अगस्त, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2013/922.

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबन्धक,

नवीन मछुआ सहकारी संस्था मर्यादित, मुंशीपुरा, गुना.

पंजीयन क्रमांक 1150, दिनांक 08 मार्च, 2010, जिला गुना.

1. आपकी संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य नहीं कर रही है.

2. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में असफल रही है.

3. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है. इस प्रकार आपकी सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है.

उक्त आधार पर मैं प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं.

अतः मैं, सी. पी. सिंह भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के संबंध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे? प्रकरण में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 09 सितम्बर, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं। यदि समयावधि में आपकी ओर से समाधानकारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि उक्त आरोप आपको स्वीकार हैं। तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

सी. पी. सिंह भदौरिया,
उप-पंजीयक.

(649)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/2367.—दुर्गा गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., भोपाल, पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी. 461, दिनांक 03-09-1985 (जिसे आगे संस्था कहा गया) को कार्यालयीन पत्र क्रमांक परिसमापन/2013/1250, दिनांक 23-05-2013 द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत जारी किया जाकर आरोप क्रमांक 1 से 4 के संबंध में संस्था के संचालक मण्डल को सूचित किया गया था कि सूचना-पत्र को संचालक मण्डल एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा उत्तर साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 24-06-2013 तक कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें।

संस्था अध्यक्ष द्वारा दिनांक 24-06-2013 एवं 22-08-2013 को कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर प्रस्तुत किया गया, जिसमें संस्था के ऊपर लगाये गये आरोप का कोई बिन्दुवार उत्तर एवं उनसे सम्बन्धित साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत ना करते हुए कार्यवाही से बचने के लिए झूठा एवं असंगत बातों का लेख किया गया जिसका कार्यालयीन कार्य से कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार लगाये गये आरोप संस्था को स्वीकार हैं एवं संस्था द्वारा आरोपों के निराकरण हेतु ना तो संचालक मण्डल की बैठक आहूत की गई एवं ना ही इसे संस्था के सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा गया। संस्था अध्यक्ष द्वारा स्वयं की मनमर्जी से विधिवत् कार्य न करते हुये मनगढ़न्त कार्य किया जा रहा है, जो निम्नानुसार है :—

1. संस्था का पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी.-461, दिनांक 03-09-1995 है। संस्था ने पंजीयन के 27 वर्ष उपरांत भी अपने 83 सदस्यों को संस्था उपविधियों के उद्देश्यानुसार सदस्यों को भू-खण्ड उपलब्ध कराने हेतु भूमि क्रय नहीं की गई है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में संस्था द्वारा भूमि क्रय संबंधी एवं संस्था के नाम से भूमि स्वत्व संबंधी कोई अभिलेख एवं दस्तावेज सूचना-पत्र के उत्तर में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। उत्तर में संलग्न माननीय न्यायालय तृतीय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 भोपाल द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक 168-ए/07, दिनांक 24-09-2001 में पारित आदेश दिनांक 16-05-2008 की छायाप्रति संलग्न की गई है जिसमें दुर्गा गृह निर्माण सहकारी संस्था वादी एवं शाप कीपर्स एसोसिएशन व अन्य प्रतिवादी है, आदेश के बाद प्रश्न एवं निष्कर्ष का अवलोकन किया गया जिसमें यह स्पष्ट है कि शाप कीपर्स एसोसिएशन पिपलानी भोपाल का वैधानिक अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ है। प्रतिवादी क्रमांक-01 नाम की संस्था का वादी संस्था के रूप में वैधानिक रूपांतरण हो जाने के पश्चात् वादी संस्था राजस्व अभिलेखों में नामांतरण करा पाने की अधिकारी हैं। अतः स्पष्ट है कि आदेश उपरांत संस्था द्वारा पारित आदेशानुसार कोई कार्य एवं कार्यवाही सम्पन्न नहीं की गई है। आज दिनांक तक संस्था के पक्ष में भूमि का नामांतरण नहीं हुआ है।

इसी प्रकार संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम/नियम के प्रावधानों के पालन में सदस्यों की वरिष्ठता सूची आमसभा की कार्यवाही एवं संचालक मण्डल में पारित निर्णयों की जानकारी कार्यालय को प्रस्तुत नहीं की गई है तथा वर्ष 2010-11 से संस्था द्वारा अंकेक्षण सम्पन्न नहीं कराया गया।

कार्यालय में उपलब्ध संस्था की अंकेक्षण टीप वर्ष 2009-10 में संस्था अध्यक्ष द्वारा पृष्ठ क्रमांक-16 पर किये गये उल्लेखानुसार संस्था के सहकारिता विभाग में पंजीकृत होने के पूर्व भूमि क्रय की गई थी एवं भू-खण्ड आवंटन की कार्यवाही भी उसी अवधि में की गई थी। वर्तमान में संस्था द्वारा किसी भी प्रकार का आवंटन नहीं किया गया है। अतः स्पष्ट है कि जब संस्था अस्तित्व में ही नहीं थी

तो संस्था के नाम से भूमि क्रय करने व आवंटन का उल्लेख करना विधि अनुकूल नहीं है। संस्था के वित्तीय पत्रकों में भूमि क्रय करने का कोई उल्लेख नहीं है। संस्था खसरा क्रमांक-255 रकबा 10.16 एकड़ स्थित नरेला संकरी को संस्था भूमि बतला रही है, जो कि शॉप कीपर्स एसोसिएशन द्वारा दिनांक 31-05-2011 को मेसर्स आर. के. कन्स्ट्रक्शन को विक्रय की जाकर राजस्व अभिलेखों में उनके नाम पर नामांतरित है।

संस्था के पंजीयन से पूर्व उक्त भूमि शॉप कीपर्स एसोसिएशन के नाम पंजीकृत थी। अतः संस्था गठन से ही अपने उद्देश्यों के अनुकूल कार्य करने में सक्षम नहीं रही है।

2. संस्था की अंकेक्षण टीम वर्ष 2009-10 के वित्तीय पत्रक अनुसार संस्था की संचित हानि 6,97,261/- है, जबकि सदस्यों की जमा अंश पूंजी 33,500/- दर्शित है। अतः सदस्यों की जमा अंश पूंजी के अनुपात से लगभग 21 गुना अधिक हानि हो चुकी है। संस्था सदस्यों द्वारा संस्था के कार्यों में कोई वित्तीय सहयोग परिलक्षित नहीं है। संस्था के वित्तीय पत्रक अनुसार सदस्यों से कोई भू-खण्ड अमानत राशि जमा होना नहीं बताया जा रहा है। संस्था की वित्तीय स्थिति के आधार पर संस्था को पंजीकृत बनाये रखना विधिसंगत प्रतीत नहीं होता है।
3. संस्था के स्थिति विवरण पत्रक 31-03-2010 अनुसार अमानत श्री ए. एस. सूदन 9,70,700/- एवं श्री बलबिन्दर पाल सिंह की अमानत 80,500/- जमा है, जो कि पिता-पुत्र है। श्री ए. एस. सूदन संस्था के तत्कालीन अध्यक्ष एवं श्री बलबिन्दर पाल सिंह वर्तमान अध्यक्ष है। संस्था के कार्यों हेतु अन्य सदस्यों श्री बी. पी. एल. पांडे की अमानत रु. 1,800/- एवं भू-खण्ड अग्रिम रु. 84,350/- को छोड़कर कोई राशि संस्था सदस्यों से प्राप्त ना की जाकर स्वयं संस्था में अमानत जमा कर सहकारी सिद्धांतों के विपरीत संस्था का संचालन स्वयं के लाभ हेतु किया जा रहा है। संस्था के कार्य में सदस्यों की कोई भागीदारी प्रतीत नहीं हो रही है। इनके द्वारा सदस्यों को वस्तुस्थिति से अवगत न कराते हुये सदस्यों के साथ अन्याय किया जा रहा है तथा संस्था को पारिवारिक नियंत्रण के आधार पर संचालित किया जा रहा है।
4. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के विपरीत कार्य किये जा रहे हैं।

इस सम्बन्ध में संस्था अध्यक्ष द्वारा स्वयं यह स्वीकार किया गया है कि संस्था द्वारा गठन उपरांत कोई भूमि क्रय नहीं की गई है। संस्था के व्यवहार वाद प्रकरण क्रमांक-168ए/07 अनुसार शॉप कीपर एसोसिएशन एवं दुर्गा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल का समविलियन वैधानिक रूप से नहीं हुआ है।

उक्तानुसार आधार पर संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य ना करने, विधि अनुकूल कार्यवाही संपादित ना करने के कारण संस्था को परिसमापन में लिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5/1/99/पन्द्रह/1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश की शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुर्गा गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., भोपाल को परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री के. सी. जैन, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित किया जाता है कि परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(655)

भोपाल, दिनांक 30 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./891-A.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 4057, दिनांक 20 अक्टूबर, 2011 के द्वारा न्यू प्रेम महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या., तहसील हुजूर, भोपाल, जिसका पंजीयन क्र. 763, दिनांक 20 जनवरी, 1995 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री व्ही. के. गुप्ता, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(650)

भोपाल, दिनांक 30 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./891-B.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/2693, दिनांक 15 जुलाई, 2011 के द्वारा विन्ध्यांचल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., तहसील हुजूर, भोपाल, जिसका पंजीयन क्र. 15, दिनांक 01 मई, 1963 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री बी. पी. पाटिल, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(650-A)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

श्री अनिल अग्रवाल,

प्रभारी अधिकारी,

गंगा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल।

गंगा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./515, दिनांक 16 सितम्बर, 1987 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा वर्ष की अंकेक्षण टीप में उल्लेखित निम्नलिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की है.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है।
2. संस्था का रिकॉर्ड अंकेक्षण हेतु नहीं मिलने से वित्तीय पत्रक दोहराये जा रहे हैं।
3. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप सदस्यों के हित में भूमि क्रय नहीं की गई है।
4. संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है।
5. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के विपरीत कार्य किये जा रहे हैं।

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/15-1-99, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर अवगत कराता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुए धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे. इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर, साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 07 जून, 2013 तक कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें.

नियत सुनवाई दिनांक को प्रकरण के संबंध में अनुपस्थिति/उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको प्रकरण के संबंध में कुछ नहीं कहना है और न ही पक्ष समर्थन हेतु साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत करना है, अंतिम आदेश पारित कर दिये जावेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(650-B)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

श्री सुनील अग्रवाल,
प्रभारी अधिकारी,

पंजाबी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल.

पंजाबी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1712, दिनांक 02 मार्च, 1959 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा वर्ष की अंकेक्षण टीप में उल्लेखित निम्नलिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की है.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है.
2. संस्था का रिकॉर्ड अंकेक्षण हेतु नहीं मिलने से वित्तीय पत्रक दोहराये जा रहे हैं.
3. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप सदस्यों के हित में भूमि क्रय नहीं की गई है.
4. संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.
5. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के विपरीत कार्य किये जा रहे हैं.

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/15-1-99, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर अवगत कराता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुए धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे. इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर, साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 07 जून, 2013 तक कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें.

नियत सुनवाई दिनांक को प्रकरण के संबंध में अनुपस्थिति/उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको प्रकरण के संबंध में कुछ नहीं कहना है और न ही पक्ष समर्थन हेतु साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत करना है, अंतिम आदेश पारित कर दिये जावेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(650-C)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

भारतीय श्रमजीवी पत्रकार गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल, जिसका पंजीयन क्र. डी.आर.बी.-760, दिनांक 28 अक्टूबर, 1997 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र-क्रमांक 1125, दिनांक 08 मई, 2013 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया/संस्था जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्राप्त प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुए भारतीय श्रमजीवी पत्रकार गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री राकेश निगम को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशाली होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री राकेश निगम, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(650-D)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

वनवासी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल, जिसका पंजीयन क्र. डी.आर.बी.-530, दिनांक 04 मार्च, 1987 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र-क्रमांक 1124, दिनांक 08 मई, 2013 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया/संस्था जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्राप्त प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुए वनवासी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री राजन पी. जे. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशाली होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री राजन पी. जे., परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(650-E)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

माँ आसमानी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल, जिसका पंजीयन क्र. डी.आर.बी.-636, दिनांक 25 अप्रैल, 1995 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र-क्रमांक 1122, दिनांक 08 मई, 2013 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया/संस्था जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्राप्त प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुए माँ आसमानी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री मुकुन्द भैसारे को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशाली होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री मुकुन्द भैसारे, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(650-F)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

बद्री नारायण गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल, जिसका पंजीयन क्र. डी.आर.बी.-1130, दिनांक 30 दिसम्बर, 2008 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र-क्रमांक 1133, दिनांक 08 मई, 2013 को जारी किया जाकर

जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी। उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया/संस्था जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्राप्त प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुए बट्टी नारायण गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री प्रमोद राय को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ। यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशाली होगा। यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री प्रमोद राय, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें।

(650-G)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

वर्धमान गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल, जिसका पंजीयन क्र. डी.आर.बी.-170, दिनांक 31 मार्च, 1980 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र-क्रमांक 1127, दिनांक 08 मई, 2013 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी। उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया/संस्था जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्राप्त प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुए वर्धमान गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्रीमती लता गिल को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ। यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशाली होगा। यह भी आदेशित किया जाता है कि श्रीमती लता गिल, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें।

(650-H)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

ऋतु गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल, जिसका पंजीयन क्र. डी.आर.बी.-680, दिनांक 28 दिसम्बर, 1991 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र-क्रमांक 1118, दिनांक 08 मई, 2013 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी। उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया/संस्था जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्राप्त प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुए ऋतु गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री मुकुन्द भैसारे को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ। यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशाली होगा। यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री मुकुन्द भैसारे, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें।

(650-I)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

न्यू भोपाल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल, जिसका पंजीयन क्र. डी.आर.बी.-510, दिनांक 21 जनवरी, 1987 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र-क्रमांक 1132, दिनांक 08 मई, 2013 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी। उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया/संस्था जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की

धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्राप्त प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुए न्यू भोपाल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. के. खत्री को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशाली होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री आर. के. खत्री, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(650-J)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

जय श्री महावीर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल, जिसका पंजीयन क्र. डी.आर.बी.-939, दिनांक 10 जुलाई, 2003 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र-क्रमांक 1131, दिनांक 08 मई, 2013 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया/संस्था जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्राप्त प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुए जय श्री महावीर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एच. एन. वर्मा को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशाली होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री एच. एन. वर्मा, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(650-K)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

चाहत गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल, जिसका पंजीयन क्र. डी.आर.बी.-659, दिनांक 04 अगस्त, 1995 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र-क्रमांक 1119, दिनांक 08 मई, 2013 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया/संस्था जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्राप्त प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुए चाहत गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री विनोद जैन को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशाली होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री विनोद जैन, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(650-L)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

पंजाबी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल, जिसका पंजीयन क्र. डी.आर.बी.-1712, दिनांक 02 मार्च, 1959 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र-क्रमांक 1129, दिनांक 08 मई, 2013 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया/संस्था जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्राप्त प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुए पंजाबी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री सुधाकर पाण्डेय को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक

से प्रभावशाली होगा। यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री सुधाकर पाण्डेय, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें।

(650-M)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

गंगा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल, जिसका पंजीयन क्र. डी.आर.बी.-515, दिनांक 16 सितम्बर, 1987 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र-क्रमांक 1128, दिनांक 08 मई, 2013 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी। उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया/संस्था जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्राप्त प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुए गंगा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत कु. अलका तिग्गा को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ। यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशाली होगा। यह भी आदेशित किया जाता है कि कु. अलका तिग्गा, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें।

(650-N)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

सरला गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल, जिसका पंजीयन क्र. डी.आर.बी.-798, दिनांक 01 सितम्बर, 1998 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र-क्रमांक 1117, दिनांक 08 मई, 2013 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी। उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया/संस्था जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्राप्त प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुए सरला गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बृजेश चौहान को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ। यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशाली होगा। यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री बृजेश चौहान, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें।

(650-O)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

न्यू केपिटल प्रोजेक्ट गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल, जिसका पंजीयन क्र. डी.आर.बी.-218, दिनांक 26 जून, 1981 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र-क्रमांक 1130, दिनांक 08 मई, 2013 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी। उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया/संस्था जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्राप्त प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुए न्यू केपिटल प्रोजेक्ट गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री विनोद जैन को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ। यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशाली होगा। यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री विनोद जैन, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें।

(650-P)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

रघुवंशपुरम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल, जिसका पंजीयन क्र. डी.आर.बी.-182, दिनांक 14 अक्टूबर, 1980 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र-क्रमांक 1116, दिनांक 08 मई, 2013 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया/संस्था जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्राप्त प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुए रघुवंशपुरम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बृजेश चौहान को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशाली होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री बृजेश चौहान, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(650-Q)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

सतपुड़ा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल, जिसका पंजीयन क्र. डी.आर.बी.-357, दिनांक 06 जुलाई, 1983 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र-क्रमांक 1126, दिनांक 08 मई, 2013 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया/संस्था जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्राप्त प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुए सतपुड़ा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्रीमती सुविता सेमुअल को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशाली होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्रीमती सुविता सेमुअल, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(650-R)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

प्रभात गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल, जिसका पंजीयन क्र. 30, दिनांक 02 नवम्बर, 1959 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र-क्रमांक 1768, दिनांक 04 जुलाई, 2013 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया/संस्था जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्राप्त प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुए प्रभात गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री सुनील अग्रवाल को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशाली होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री सुनील अग्रवाल, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(650-S)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

तोशीबा आनन्द गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल, जिसका पंजीयन क्र. 628, दिनांक 26 फरवरी, 1995 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र-क्रमांक 1769, दिनांक 04 जुलाई, 2013 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु

30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया/संस्था जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्राप्त प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुए तोशीबा आनन्द गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री राजीव जैन को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशाली होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री राजीव जैन, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रताशीघ्र प्रस्तुत करें.

(650-T)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

देवकीनंदन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल, जिसका पंजीयन क्र. 511, दिनांक 28 अगस्त, 1987 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र-क्रमांक 1770, दिनांक 04 जुलाई, 2013 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया/संस्था जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्राप्त प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुए देवकीनंदन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री अनिल अग्रवाल को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशाली होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री अनिल अग्रवाल, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रताशीघ्र प्रस्तुत करें.

(650-U)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

जया गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल, जिसका पंजीयन क्र. 631, दिनांक 27 मार्च, 1995 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र-क्रमांक 1771, दिनांक 04 जुलाई, 2013 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया/संस्था जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्राप्त प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुए जया गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बी. एम. सिंह को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशाली होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री बी. एम. सिंह, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रताशीघ्र प्रस्तुत करें.

(650-V)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

ओशी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल, जिसका पंजीयन क्र. 1138, दिनांक 23 जुलाई, 2009 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र-क्रमांक 1764, दिनांक 04 जुलाई, 2013 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया/संस्था जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की

धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्राप्त प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुए ओशी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत कु. अलका तिग्गा को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशाली होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि कु. अलका तिग्गा, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रतिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(650-W)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

श्री गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल, जिसका पंजीयन क्र. 746, दिनांक 30 सितम्बर, 1997 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र-क्रमांक 1772, दिनांक 04 जुलाई, 2013 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया/संस्था जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्राप्त प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुए श्री गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री विनोद जैन को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशाली होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री विनोद जैन, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रतिशीघ्र प्रस्तुत करें.

आर. एस. विश्वकर्मा,
उप-पंजीयक.

(650-X)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

एम. ई. एस. कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल, जिसका पंजीयन क्र. 39, दिनांक 27 जुलाई, 1975 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र-क्रमांक 1767, दिनांक 04 जुलाई, 2013 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया/संस्था जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्राप्त प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुए एम. ई. एस. कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री सुनील अग्रवाल, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशाली होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री सुनील अग्रवाल, उप-अंकेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रतिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(650-Y)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

भारत को-ऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल, जिसका पंजीयन क्र. 1497, दिनांक 16 मार्च, 1956 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र-क्रमांक 1766, दिनांक 04 जुलाई, 2013 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया/संस्था जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्राप्त प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुए भारत को-ऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल को एतद्द्वारा

परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री डी. के. गुप्ता, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ। यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशाली होगा। यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री डी. के. गुप्ता, उप-अंकेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें।

अखिलेश चौहान,
सहायक पंजीयक.

(650-Z)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी

शिवपुरी, दिनांक 08 नवम्बर, 2013

संशोधित आदेश

क्र./परि./2013/1651.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./2408, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 द्वारा संजय गृह निर्माण सहकारी संस्था, शिवपुरी का परिसमापक श्री पी. वी. मुचरीकर, अंके. अधि., सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था। यह कि उनकी सेवानिवृत्ति हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर श्री पी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक, शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(651)

शिवपुरी, दिनांक 08 नवम्बर, 2013

संशोधित आदेश

क्र./परि./2013/1652.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./2428, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 द्वारा नवीन मत्स्योद्योग सहकारी संस्था, मझेरा का परिसमापक श्री पी. वी. मुचरीकर, अंके. अधि., सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था। यह कि उनकी सेवानिवृत्ति हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर श्री व्ही. डी. अग्रवाल, C.E.O., शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(651-A)

शिवपुरी, दिनांक 08 नवम्बर, 2013

संशोधित आदेश

क्र./परि./2013/1653.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./2406, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 द्वारा रंगाई छपाई सहकारी संस्था, शिवपुरी का परिसमापक श्री पी. वी. मुचरीकर, अंके. अधि., सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था। यह कि उनकी सेवानिवृत्ति हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर श्री एस. के. निम्बालकर, S.C.I., शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(651-B)

शिवपुरी, दिनांक 08 नवम्बर, 2013

संशोधित आदेश

क्र./परि./2013/1654.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./2432, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 द्वारा भारत महिला साख सहकारी संस्था, शिवपुरी का परिसमापक श्री पी. वी. मुचरीकर, अंके. अधि., सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था। यह कि उनकी सेवानिवृत्ति हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर श्री व्ही. डी. अग्रवाल, C.E.O., शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(651-C)

शिवपुरी, दिनांक 08 नवम्बर, 2013

संशोधित आदेश

क्र./परि./2013/1655.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./2437, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 द्वारा आदिवासी बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, मुड़खेडा का परिसमापक श्री पी. वी. मुचरीकर, अंके. अधि., सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनकी सेवानिवृत्ति हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर श्री आर. एन. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक, शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(651-D)

शिवपुरी, दिनांक 08 नवम्बर, 2013

संशोधित आदेश

क्र./परि./2013/1656.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./2423, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 द्वारा बुनकर सहकारी संस्था, शिवपुरी का परिसमापक श्री पी. वी. मुचरीकर, अंके. अधि., सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनकी सेवानिवृत्ति हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर श्रीमती विनीता सक्सैना, सहकारी निरीक्षक, शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(651-E)

शिवपुरी, दिनांक 08 नवम्बर, 2013

संशोधित आदेश

क्र./परि./2013/1657.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./2447, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 द्वारा सर्वोदय प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी संस्था, खनियाधाना का परिसमापक श्री जे. एस. राजे, सहकारी निरीक्षक, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानांतरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर श्री विजय कुमार जैन, सहकारी निरीक्षक, शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(651-F)

शिवपुरी, दिनांक 08 नवम्बर, 2013

संशोधित आदेश

क्र./परि./2013/1658.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./2445, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 द्वारा संयुक्त कृषि सहकारी संस्था, पिपरा का परिसमापक श्री जे. एस. राजे, सहकारी निरीक्षक, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानांतरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर श्री विजय कुमार जैन, सहकारी निरीक्षक, शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(651-G)

शिवपुरी, दिनांक 08 नवम्बर, 2013

संशोधित आदेश

क्र./परि./2013/1659.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./2448, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 द्वारा चैतन्य नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था, खनियाधाना का परिसमापक श्री जे. एस. राजे, सहकारी निरीक्षक, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानांतरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर श्री विजय कुमार जैन,

सहकारी निरीक्षक, शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(651-H)

शिवपुरी, दिनांक 08 नवम्बर, 2013

संशोधित आदेश

क्र./परि./2013/1660.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./2449, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 द्वारा गणेश मत्स्योद्योग सहकारी संस्था, लोटन का परिसमापक श्री जे. एस. राजे, सहकारी निरीक्षक, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानांतरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर श्री पी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक, शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(651-I)

शिवपुरी, दिनांक 08 नवम्बर, 2013

संशोधित आदेश

क्र./परि./2013/1661.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./584, दिनांक 13 जुलाई, 2010 द्वारा शिवपुरी श्रमिक आदिवासी बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, शिवपुरी का परिसमापक श्री जे. एस. राजे, सहकारी निरीक्षक, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानांतरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर श्री व्ही. आर. डंडौतिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(651-J)

शिवपुरी, दिनांक 08 नवम्बर, 2013

संशोधित आदेश

क्र./परि./2013/1662.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./247, दिनांक 23 अप्रैल, 2012 द्वारा प्राथमिक कृषि सहकारी संस्था, नैयाखेड़ी का परिसमापक श्री जे. एस. राजे, सहकारी निरीक्षक, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानांतरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर श्री पी. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक, शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(651-K)

शिवपुरी, दिनांक 08 नवम्बर, 2013

संशोधित आदेश

क्र./परि./2013/1663.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./244, दिनांक 18 जनवरी, 2013 द्वारा आदर्श दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, शिवपुरी का परिसमापक श्री जे. एस. राजे, सहकारी निरीक्षक, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानांतरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर श्री आर. एन. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक, शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(651-L)

शिवपुरी, दिनांक 08 नवम्बर, 2013

संशोधित आदेश

क्र./परि./2013/1664.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./2422, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 द्वारा जनता ओपन पान शक्कर कारखाना सहकारी संस्था, करही का परिसमापक श्री रमेशचंद जैन, सह. वि. अधि., सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानांतरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर श्री व्ही. डी. अग्रवाल, सह. वि. अधि., शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(651-M)

शिवपुरी, दिनांक 08 नवम्बर, 2013

संशोधित आदेश

क्र./परि./2013/1665.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./2439, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, भदोरा का परिसमापक श्री रमेशचंद जैन, सह. वि. अधि., सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानांतरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर श्री ए. के. पाराशर, व. स. नि., शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(651-N)

शिवपुरी, दिनांक 08 नवम्बर, 2013

संशोधित आदेश

क्र./परि./2013/1666.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./2440, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 द्वारा पिछड़ा वर्ग महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, ऊपरी भिलौंडी का परिसमापक श्री रमेशचंद जैन, सह. वि. अधि., सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानांतरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर श्री सी. एल. मौर्य, अंके. अधिकारी, शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(651-O)

शिवपुरी, दिनांक 08 नवम्बर, 2013

संशोधित आदेश

क्र./परि./2013/1667.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./2441, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, बीलवामाता का परिसमापक श्री रमेशचंद जैन, सह. वि. अधि., सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानांतरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर श्री सी. एल. मौर्य, अंके. अधिकारी, शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(651-P)

शिवपुरी, दिनांक 08 नवम्बर, 2013

संशोधित आदेश

क्र./परि./2013/1668.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./2442, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, ककरई का परिसमापक श्री रमेशचंद जैन, सह. वि. अधि., सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया

था. यह कि उनका स्थानांतरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर श्री सी. एल. मौर्य, अंके. अधिकारी, शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(651-Q)

शिवपुरी, दिनांक 08 नवम्बर, 2013

संशोधित आदेश

क्र./परि./2013/1669.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./1373, दिनांक 30 नवम्बर, 2011 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, छितरी का परिसमापक श्री रमेशचंद्र जैन, सह. वि. अधि., सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानांतरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर श्री सी. एल. मौर्य, अंके. अधिकारी, शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(651-R)

शिवपुरी, दिनांक 08 नवम्बर, 2013

संशोधित आदेश

क्र./परि./2013/1670.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./228, दिनांक 18 जनवरी, 2013 द्वारा अ. जा. श्रमिक कामगार सहकारी संस्था, भौती का परिसमापक श्री रमेशचंद्र जैन, सह. वि. अधि., सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानांतरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर श्री सी. एल. मौर्य, अंके. अधिकारी, शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(651-S)

एस. के. सिंह,
उप-पंजीयक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भिण्ड

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., छक्की लाल का पुरा, जिसका पंजीयन क्र. 834, दिनांक 02 अप्रैल, 2002 विगत वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है. कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/128, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री आर. के. शर्मा, वी.ई.ओ., दुग्ध संघ, ग्वालियर को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(652)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रायपुरा, जिसका पंजीयन क्र. 931, दिनांक 16 फरवरी, 2006 विगत वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है. कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/128, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री आर. के. शर्मा, वी.ई.ओ., दुग्ध संघ, ग्वालियर को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(652-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हीरापुरा, जिसका पंजीयन क्र. 630, दिनांक 31 जनवरी, 1989 विगत वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है. कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/129, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री आर. के. शर्मा, वी.ई.ओ., दुग्ध संघ, ग्वालियर को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(652-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., काथा, जिसका पंजीयन क्र. 474, दिनांक 20 जुलाई, 1987 विगत वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है. कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/130, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री आर. के. शर्मा, वी.ई.ओ., दुग्ध संघ, ग्वालियर को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(652-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., असनेट, जिसका पंजीयन क्र. 824, दिनांक 22 अगस्त, 2001 विगत वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है. कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/132, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री आर. के. शर्मा, वी.ई.ओ., दुग्ध संघ, ग्वालियर को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(652-D)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., स्यावली, जिसका पंजीयन क्र. 573, दिनांक 29 सितम्बर, 1988 विगत वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है. कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/131, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री आर. के. शर्मा, वी.ई.ओ., दुग्ध संघ, ग्वालियर को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(652-E)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बहुआ, जिसका पंजीयन क्र. 444, दिनांक 22 दिसम्बर, 1986 विगत वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है. कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/133, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री आर. के. शर्मा, वी.ई.ओ., दुग्ध संघ, ग्वालियर को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(652-F)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सोनी, जिसका पंजीयन क्र. 384, दिनांक 29 अप्रैल, 1986 विगत वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है। कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/134, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी। निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है। उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री आर. के. शर्मा, वी.ई.ओ., दुग्ध संघ, ग्वालियर को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(652-G)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रमपुरा पाडरी, जिसका पंजीयन क्र. 933, दिनांक 16 फरवरी, 2006 विगत वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है। कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/135, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी। निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है। उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री आर. के. शर्मा, वी.ई.ओ., दुग्ध संघ, ग्वालियर को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(652-H)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बोहरा, जिसका पंजीयन क्र. 626, दिनांक 31 जनवरी, 1989 विगत वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है। कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण

बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/136, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री आर. के. शर्मा, वी.ई.ओ., दुग्ध संघ, ग्वालियर को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(652-I)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सुरधान, जिसका पंजीयन क्र. 822, दिनांक 22 अगस्त, 2001 विगत वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है. कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/137, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री आर. के. शर्मा, वी.ई.ओ., दुग्ध संघ, ग्वालियर को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(652-J)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., काशीपुरा इंदुखी, जिसका पंजीयन क्र. 819, दिनांक 22 अगस्त, 2001 विगत वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है. कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/138, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री आर. के. शर्मा, वी.ई.ओ., दुग्ध संघ, ग्वालियर को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(652-K)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जगनपुरा, जिसका पंजीयन क्र. 469, दिनांक 29 जुलाई, 1987 विगत वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है. कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/139, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री आर. के. शर्मा, वी.ई.ओ., दुग्ध संघ, ग्वालियर को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(652-L)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जैतपुरा मढ़ी, जिसका पंजीयन क्र. 576, दिनांक 29 सितम्बर, 1988 विगत वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है. कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/140, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री आर. के. शर्मा, वी.ई.ओ., दुग्ध संघ, ग्वालियर को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(652-M)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मेंहदा धार, जिसका पंजीयन क्र. 489, दिनांक 09 सितम्बर, 1987 विगत वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है. कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/141, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री आर. के. शर्मा, वी.ई.ओ., दुग्ध संघ, ग्वालियर को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(652-N)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रौन, जिसका पंजीयन क्र. 475, दिनांक 29 जुलाई, 1987 विगत वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है. कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/142, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री आर. के. शर्मा, वी.ई.ओ., दुग्ध संघ, ग्वालियर को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(652-O)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गोरई, जिसका पंजीयन क्र. 471, दिनांक 29 जुलाई, 1987 विगत वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है. कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/143, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री आर. के. शर्मा, वी.ई.ओ., दुग्ध संघ, ग्वालियर को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(652-P)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., वंथरी, जिसका पंजीयन क्र. 480, दिनांक 20 जुलाई, 1987 विगत वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है. कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/144, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री आर. के. शर्मा, वी.ई.ओ., दुग्ध संघ, ग्वालियर को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(652-Q)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पडरिया, जिसका पंजीयन क्र. 817, दिनांक 31 मई, 2001 विगत वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है। कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/145, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी। निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है। उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री आर. के. शर्मा, वी.ई.ओ., दुग्ध संघ, ग्वालियर को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(652-R)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टोला, जिसका पंजीयन क्र. 545, दिनांक 30 मार्च, 1988 विगत वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है। कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/146, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी। निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है। उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री आर. के. शर्मा, वी.ई.ओ., दुग्ध संघ, ग्वालियर को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(652-S)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कटघरा, जिसका पंजीयन क्र. 867,

दिनांक 08 अगस्त, 2003 विगत वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है। कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/147, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी। निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है। उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री आर. के. शर्मा, वी.ई.ओ., दुग्ध संघ, ग्वालियर को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(652-T)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रसूल पुरा, जिसका पंजीयन क्र. 593, दिनांक 29 सितम्बर, 1988 विगत वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है। कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/148, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी। निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है। उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री आर. के. शर्मा, वी.ई.ओ., दुग्ध संघ, ग्वालियर को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(652-U)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अमेडा, जिसका पंजीयन क्र. 388, दिनांक 29 अप्रैल, 1986 विगत वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है। कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/150, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी। निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है। उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री आर. के. शर्मा, वी.ई.ओ., दुग्ध संघ, ग्वालियर को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(652-V)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिडोरा, जिसका पंजीयन क्र. 391, दिनांक 29 अप्रैल, 1986 विगत वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है. कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/151, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री आर. के. शर्मा, वी.ई.ओ., दुग्ध संघ, ग्वालियर को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(652-W)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., शुक्ल पुरा, जिसका पंजीयन क्र. 478, दिनांक 11 दिसम्बर, 1986 विगत वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है. कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/152, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री आर. के. शर्मा, वी.ई.ओ., दुग्ध संघ, ग्वालियर को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(652-X)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सर्वा, जिसका पंजीयन क्र. 322, दिनांक 18 मार्च, 1982 विगत वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है. कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/155, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के

अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री आर. के. शर्मा, वी.ई.ओ., दुग्ध संघ, ग्वालियर को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(652-Y)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सलमपुरा, जिसका पंजीयन क्र. 316, दिनांक 03 मार्च, 1982 विगत वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है। कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/156, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी। निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है। उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री आर. के. शर्मा, वी.ई.ओ., दुग्ध संघ, ग्वालियर को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(652-Z)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चम्हेडी, जिसका पंजीयन क्र. 801, दिनांक 24 नवम्बर, 2000 विगत वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है। कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/160, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी। निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है। उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री आर. के. शर्मा, वी.ई.ओ., दुग्ध संघ, ग्वालियर को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(653)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., तुकेडा, जिसका पंजीयन क्र. 321, दिनांक 18 मार्च, 1982 विगत वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है। कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/158, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013

नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री आर. के. शर्मा, वी.ई.ओ., दुग्ध संघ, ग्वालियर को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(653-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देहगॉव-2, जिसका पंजीयन क्र. 319, दिनांक 03 मार्च, 1982 विगत वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है. कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/159, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री आर. के. शर्मा, वी.ई.ओ., दुग्ध संघ, ग्वालियर को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(653-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चितौरा, जिसका पंजीयन क्र. 322, दिनांक 31 जुलाई, 1982 विगत वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है. कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/157, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री आर. के. शर्मा, वी.ई.ओ., दुग्ध संघ, ग्वालियर को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(653-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सुरपुरा, जिसका पंजीयन क्र. 430, दिनांक 20 सितम्बर, 1986 विगत वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है. कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/162, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री आर. के. शर्मा, वी.ई.ओ., दुग्ध संघ, ग्वालियर को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(653-D)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उदन्न खेड़ा, जिसका पंजीयन क्र. 439, दिनांक 11 दिसम्बर, 1986 विगत वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है. कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/163, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री आर. के. शर्मा, वी.ई.ओ., दुग्ध संघ, ग्वालियर को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(653-E)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., वरौली, जिसका पंजीयन क्र. 392, दिनांक 29 अप्रैल, 1986 विगत वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है. कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/164, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री आर. के. शर्मा, वी.ई.ओ., दुग्ध संघ, ग्वालियर को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(653-F)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इंगुरी खोड, जिसका पंजीयन क्र. 583, दिनांक 29 सितम्बर, 1988 विगत वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है। कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/165, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी। निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है। उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री आर. के. शर्मा, वी.ई.ओ., दुग्ध संघ, ग्वालियर को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(653-G)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जैतपुरा (मेहगॉव), जिसका पंजीयन क्र. 535, दिनांक 30 मार्च, 1988 विगत वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है। कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/166, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी। निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है। उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री आर. के. शर्मा, वी.ई.ओ., दुग्ध संघ, ग्वालियर को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(653-H)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुअर पुरा, जिसका पंजीयन क्र. 637, दिनांक 25 मार्च, 1989 विगत वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है। कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/167, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी। निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है। उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)

(क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री आर. के. शर्मा, वी.ई.ओ., दुग्ध संघ, ग्वालियर को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(653-I)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिरखड़ी रौन, जिसका पंजीयन क्र. 467, दिनांक 29 जुलाई, 1987 विगत वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है। कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/169, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी। निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है। उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री आर. के. शर्मा, वी.ई.ओ., दुग्ध संघ, ग्वालियर को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(653-J)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., तुला का पुरा, जिसका पंजीयन क्र. 913, दिनांक 23 मार्च, 2005 विगत वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है। कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/170, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी। निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है। उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री आर. के. शर्मा, वी.ई.ओ., दुग्ध संघ, ग्वालियर को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(653-K)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अचल पुरा, जिसका पंजीयन क्र. 629, दिनांक 31 जनवरी, 1989 विगत वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है। कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/171, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं

06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री आर. के. शर्मा, वी.ई.ओ., दुग्ध संघ, ग्वालियर को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(653-L)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ररी, जिसका पंजीयन क्र. 472, दिनांक 29 जुलाई, 1987 विगत वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है. कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/172, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री आर. के. शर्मा, वी.ई.ओ., दुग्ध संघ, ग्वालियर को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(653-M)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चोरई, जिसका पंजीयन क्र. 349, दिनांक 06 अप्रैल, 1985 विगत वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है. कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/173, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री आर. के. शर्मा, वी.ई.ओ., दुग्ध संघ, ग्वालियर को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(653-N)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बाराहेट, जिसका पंजीयन क्र. 473, दिनांक 29 जुलाई, 1987 विगत वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है. कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/174, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री आर. के. शर्मा, वी.ई.ओ., दुग्ध संघ, ग्वालियर को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(653-O)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अरेले का पुरा, जिसका पंजीयन क्र. 792, दिनांक 28 सितम्बर, 2000 विगत वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है. कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/124, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री आर. के. शर्मा, वी.ई.ओ., दुग्ध संघ, ग्वालियर को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(653-P)

उपेन्द्र सिंह,
उप-पंजीयक.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 नवम्बर 2013-अग्रहायण 8, शके 1935

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 07 अगस्त, 2013

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना पाया गया है.—

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील बदरवास (शिवपुरी), गढ़ाकोटा (सागर), हटा, दमोह, जवेरा, तेन्दूखेड़ा, पटेरा (दमोह), मझगावां, रामपुर-वघेलान, नागौद, उचेहरा, बिरसिंहपुर (सतना), गुढ़ (रीवा), जैसिंहनगर, बुढ़ार (शहडोल), चुरहट, रामपुरनैकिन (सीधी), मो.बड़ोदिया, शुजालपुर (शाजापुर), कट्टीवाड़ा (अलीराजपुर), वारासिवनी (सिवनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील पोहरी (शिवपुरी), ईसागढ़ (अशोकनगर), बिजावर (छतरपुर), बण्डा, देवरी, शाहगढ़ (सागर), रघुराजनगर (सतना), हजूर (रीवा), अनूपपुर (अनूपपुर), सिहावल, मझौली (सीधी), सीहोरा (जबलपुर), रीठी (कटनी), घनोरा, छपारा (सिवनी), बालाघाट (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील कोलारस (मुरैना), गोहद, लहार (भिण्ड), लौण्डी, बक्स्वाहा (छतरपुर), अजयगढ़, पवई, शाहनगर (पन्ना), रेहली (सागर), त्योंथर, हनुमना (रीवा), सुहागपुर, व्यौहारी (शहडोल), जेतहरी, कोतमा (अनूपपुर), गोपदवनास (सीधी), मल्हारगढ़, धुन्धड़का, सीतामऊ, कयामपुर (मंदसौर), सिंरोज, नटेरन (विदिशा), बरेली, बाड़ी (रायसेन), कटनी, ढीमरखेड़ा (कटनी), निवास, नैनपुर, घुघरी (मण्डला), केवलारी (सिवनी), लॉजी, बैहर (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.—तहसील अम्बाह, पोरसा, मुरैना, जौरा, सबलगढ़ (मुरैना), श्योपुर, कराहल, विजयपुर (श्योपुर), अटेर, भिण्ड, मेहगांव, मिहोना (भिण्ड), ग्वालियर, डबरा, भितरवार, घाटीगांव (ग्वालियर), शिवपुरी, पिछोर, खनियाधाना, नरवर, करैरा, कोलारस, (शिवपुरी), मुंगावली, अशोकनगर, चन्देरी (अशोकनगर), निवाड़ी, पृथ्वीपुर, जतारा, टीकमगढ़, वल्देवगढ़, पलेरा, ओरछा (टीकमगढ़), गौरीहार, नौगांव, छतरपुर, राजनगर, बड़ामलहरा (छतरपुर), पन्ना, गुन्नौर (पन्ना), बीना, खुरई, सागर, राहतगढ़, केसली, मालथोन (सागर), बटियागढ़ (दमोह), रामनगर (सतना), सिरमौर, मऊगंज, रायपुर-कर्चुलियान (रीवा), जैतपुर, गोहपारू (शहडोल), पुष्परजगढ़ (अनूपपुर), बांधवगढ़, पाली, मानपुर (उमरिया), कुसमी (सीधी), सुवासराटप्पा, भानपुरा, गरोठ, मंदसौर, शामगढ़, संजीत (मंदसौर), खाचरौद, महिदपुर, तराना, घटिया, उज्जैन, बड़नगर, नागदा (उज्जैन), बदनावर, सरदारपुर, कुक्षी, मनावर, धरमपुरी, गंधवानी, डही (धार), बुरहानपुर, खकनार, नेपानगर (बुरहानपुर), जीरापुर, खिलचीपुर, राजगढ़, व्यावरा, सारंगपुर, नरसिंहगढ़ (राजगढ़), लटेरी, कुरवाई बासौदा, विदिशा, ग्यारसपुर (विदिशा), सीहोर (सीहोर), रायसेन, गैरतगंज, बेगमगंज, गौहरगंज, सिलवानी, उदयपुरा (रायसेन), भैसदेही, घोड़ाडोंगरी, बैतूल, मुलताई, आठनेर, आमला (बैतूल),

सिवनी-मालवा, होशंगाबाद, बावई, पिपरिया, वनखेड़ी (होशंगाबाद), पाटन, मझौली, जबलपुर, कुण्डम (जबलपुर), बड़वारा, विजयराघवगढ़, बहोरीबंद, बरही, (कटनी), बिछिया, मण्डला, नारायणगंज (मण्डला), छिन्दवाड़ा, जुन्नारदेव, परासिया, सोंसर, पांडुर्णा, अमरवाड़ा, चौरई, बिछुआ, मोहखेड़ा, हरई (छिन्दवाड़ा), सिवनी, लखनादौन, बरघाट, कुरई, घंसौर (सिवनी), कटंगी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ड) 245.0 मि. मी. से 450.0 मि. मी. तक.—तहसील धार (धार), बैरसिया (भोपाल), शाहपुर, चिचौली (बैतूल), इटारसी, सोहागपुर, पचमढ़ी (होशंगाबाद), जामई (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(इ) 450.1 मि. मी. से अधिकतम तक.—तहसील हुजूर (भोपाल), आष्टा इछावर, नसरुल्लागंज, बुधनी (सीहोर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. जुताई.—जिला श्योपुर, ग्वालियर, सतना, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, झाबुआ, सीहोर, बैतूल, होशंगाबाद, जबलपुर, कटनी, मण्डला, बालाघाट में जुताई एवं धान की रोपाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. बोनी.—जिला बैतूल में फसल रामतिल, कोदों-कुटकी व मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, पन्ना, सतना, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीहोर, जबलपुर, कटनी में खरीफ फसल की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. फसल स्थिति.—

..

5. कटाई.—

..

6. सिंचाई.—जिला श्योपुर, ग्वालियर, छतरपुर, शहडोल में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. पशुओं की स्थिति.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. चारा.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. बीज.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. खेतिहर श्रमिक.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 07 अगस्त, 2013

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि.मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह	64.0				
2. पोरसा	70.0				
3. मुरैना	118.0				
4. जौरा	164.0				
5. सबलगढ़	146.0				
6. कैलारस	45.0				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गन्ना कपास. मूँगफली,तिल समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर	151.5				
2. कराहल	70.3				
3. विजयपुर	120.0				
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर	107.0				
2. भिण्ड	96.0				
3. गोहद	51.0				
4. मेहगांव	106.4				
5. लहार	45.9				
6. मिहोना } 7. रौन }	84.0				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	76.5				
2. डबरा	96.0				
3. भितरवार	75.0				
4. घाटीगांव	103.0				
*जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. सेवड़ा	..				
2. दतिया	..				
3. भाण्डेर	..				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गन्ना, मूँगफली, सोयाबीन अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	54.0				
2. पिछोर	87.0				
3. खनियाधाना	77.0				
4. नरवर	62.0				
5. करैरा	157.0				
6. कोलारस	72.0				
7. पोहरी	23.0				
8. बदरवास	15.0				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. मुंगावली	95.0		4. (1) सोयाबीन अधिक. उड़द, मक्का, गन्ना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	23.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. अशोकनगर	64.0				
4. चन्देरी	96.0				
*जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गुना	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. राघोगढ़	..		(2) ..		
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	115.0		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, उड़द, मूँग, सोयाबीन, तिल, मूँगफली, गन्ना, तुअर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	99.0		(2) ..		
3. जतारा	83.0				
4. टीकमगढ़	63.0				
5. बल्देवगढ़	84.0				
6. पलेरा	135.0				
7. ओरछा	54.0				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	43.0		4. (1) तिल, अरहर अधिक. ज्वार समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	135.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. नौगांव	76.1				
4. छतरपुर	56.2				
5. राजनगर	76.4				
6. बिजावर	22.0				
7. बड़ामलहरा	69.2				
8. बकस्वाहा	43.4				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. अजयगढ़	41.4		4. (1) मक्का, तुअर, सोयाबीन अधिक धान, ज्वार, बाजरा मक्का, उड़द, मूँग, तिल कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	84.5		(2) ..		
3. गुन्नौर	57.0				
4. पवई	41.0				
5. शाहनगर	38.8				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	141.8		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदों-कुटकी, उड़द, मूँग, अरहर, तिल, मूँगफली, सोयाबीन समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	81.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बण्डा	17.8				
4. सागर	57.8				
5. रेहली	52.6				
6. देवरी	32.0				
7. गढ़ाकोटा	7.6				
8. राहतगढ़	56.6				
9. केसली	144.3				
10. शाहगढ़	90.2				
11. मालथोन	25.0				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, ज्वार, मक्का, तुअर, तिल, सोयाबीन, उड़द, मूँग सुधरी हुई. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	15.0				
2. बटियागढ़	67.0				
3. दमोह	1.2				
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	7.0				
6. तेन्दूखेड़ा	10.2				
7. पटेरा	6.0				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, कम. सोयाबीन, उड़द, मूँग, मक्का, कोदों-कुटकी, तिल समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	19.3				
2. मझगवां	14.0				
3. रामपुर-बघेलान	1.0				
4. नागौद	0.3				
5. उचेहरा	2.0				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	72.0				
8. मैहर	. .				
9. बिरसिंहपुर	5.0				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) अरहर, धान, ज्वार, सोयाबीन, मूँग, उड़द, तिल समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्योंथर	41.0				
2. सिरमौर	96.0				
3. मऊगंज	135.0				
4. हनुमना	45.0				
5. हजूर	28.8				
6. गुढ़	3.0				
7. रायपुरकर्चुलिया	107.0				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, धान, उड़द, अरहर, सोयाबीन कम. (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	38.6				
2. ब्यौहारी	52.7				
3. जैसिंहनगर	12.0				
4. जैतपुर	85.0				
4. बुढार	14.11				
5. गोहपारू	80.0				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का अधिक. धान, कोदों, सोयाबीन, उड़द, तिल समान. (2) उपरोक्त फसल समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	43.1				
2. अनूपपुर	34.2				
3. कोतमा	44.4				
4. पुष्पराजगढ़	65.6				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, सोयाबीन, तिल, रामतिल अधिक. धान, ज्वार, कोदों-कुटकी, तुअर उड़द, कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. . . 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	112.6				
2. पाली	76.0				
3. मानपुर	65.0				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं खरीफ फसल की बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, कोदों-कुटकी, तिल, तुअर कम. मक्का, ज्वार, मूँग, उड़द समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	42.4				
2. सिहावल	25.0				
3. मझौली	19.0				
4. कुसमी	80.0				
5. चुरहट	7.0				
6. रामपुरनैकिन	11.8				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, तुअर, सांवा अधिक. मक्का, ज्वार, मूँग, उड़द, कोदों-कुटकी, तिल समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. चितरंगी	..				
2. देवसर	..				
3. सिंगरौली	..				
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) कपास, मूँगफली समान. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	78.0				
2. भानपुरा	100.6				
3. मल्हारगढ़	39.0				
4. गरोठ	59.0				
5. धुन्धड़का	42.0				
6. मन्दसौर	62.0				
7. शामगढ़	70.2				
8. सीतामऊ	41.2				
9. संजीत	61.0				
10. कयामपुर	52.0				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन, मक्का, तिल अधिक. मूँगफली कम. उड़द, तुअर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावद	..				
2. नीमच	..				
3. मनासा	..				
*जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. जावरा	..				
2. आलोट	..				
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. पिपलौदा	..				
6. रतलाम	..				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) सोयाबीन, मक्का. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खाचरौद	119.0				
2. महिदपुर	103.0				
3. तराना	130.0				
4. घटिया	158.0				
5. उज्जैन	102.0				
6. बड़नगर	160.2				
7. नागदा	102.0				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	5.0				
2. सुसनेर	..				
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
5. बड़ौद	..				
6. शाजापुर	..				
7. शुजालपुर	15.0				
8. कालापिपल	..				
9. गुलाना	..				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, उड़द, मूंगमोठ, गन्ना अधिक कपास मूँगफली कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..				
2. टोंकखुर्द	..				
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नौद	..				
6. खातेगांव	..				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन, मूँगफली अधिक. मक्का, कपास समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. थांदला	..				
2. मेघनगर	..				
3. पेटलावद	..				
4. झाबुआ	..				
5. राणापुर	..				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, ज्वार, बाजार, धान, मूँगफली, सोयाबीन, उड़द, कपास अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. ..
1. जोवट	..				
2. अलीराजपुर	..				
3. भामरा	..				
4. सोण्डवा	..				
5. कट्टीवाड़ा	3.0				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना कम. (2) उपरोक्त फसल समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बदनावर	100.2				
2. सरदारपुर	115.0				
3. धार	279.4				
4. कुक्षी	61.6				
5. मनावर	81.0				
6. धरमपुरी	78.0				
7. गंधवानी	85.0				
8. डही	160.0				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..				
2. सांवेर	..				
3. इन्दौर	..				
4. महू	..				
(डॉ. अम्बेडकरनगर)					
*जिला प. निमाड़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. बड़वाह	..				
2. सनावद	..				
3. महेश्वर	..				
4. सेगांव	..				
5. करही	..				
6. खरगौन	..				
7. गोगावां	..				
8. कसरावद	..				
9. मुल्ठान	..				
10. भगवानपुरा	..				
11. भीकनगांव	..				
12. झिरन्या	..				

1	2	3	4	5	6
*जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. बड़वानी	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. ठीकरी	..		(2) ..		
3. राजपुर	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
जिला पूर्व-निमाड़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..		4. (1) सोयाबीन समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	..		(2) उपरोक्त फसल सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	..				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	56.6		4. (1) कपास, मूँगफली तिल, सन्हेम्प समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	209.6		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	108.0				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	133.7		4. (1) सोयाबीन, मूँगफली अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	105.0		गन्ना, ज्वार, तुअर कम.	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	146.6		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. ब्यावरा	66.6				
5. सारंगपुर	213.1				
6. नरसिंहगढ़	65.2				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. ..
1. लटेरी	61.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	46.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	141.0				
4. बासौदा	124.6				
5. नटेरन	42.0				
6. विदिशा	117.3				
7. ग्यारसपुर	115.0				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	398.5		4. (1) सोयाबीन, मक्का, मूँगफली, तुअर समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	956.7		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. सीहोर	181.6		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	735.0		(2)	
3. इछावर	1002.0				
4. नसरुल्लागंज	1059.0				
5. बुधनी	919.0				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	123.6		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, अरहर, मूँग, सोयाबीन, मूँगफली, तिल, उड़द, कोदों-कुटकी .	6. संतोषप्रद, ..	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	113.6		(2) ..		
3. बेगमगंज	66.6				
4. गोहरगंज	79.0				
5. बरेली	37.0				
6. सिलवानी	65.7				
7. बाड़ी	48.0				
8. उदयपुरा	118.0				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. रामतिल एवं कोदों-कुटकी बोनी व धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैसदेही	156.6		4. (1) सोयाबीन, मक्का, ज्वार समान. (2) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	238.7				
3. शाहपुर	418.0				
4. चिचोली	298.8				
5. बैतूल	225.5				
6. मुलताई	94.3				
7. आठनेर	93.8				
8. आमला	151.6				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	165.8		4. (1) मूँग-मोंठ सुधरी हुई. (2) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	79.0				
3. बाबई	73.0				
4. इटारसी	280.8				
5. सोहागपुर	251.0				
6. पिपरिया	137.2				
7. वनखेड़ी	137.0				
8. पचमढी	336.2				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	..		4. (1) सोयाबीन. (2) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	..				
3. टिमरनी	..				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. सीहोरा	19.0		4. (1) तिल समान. (2) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाटन	56.0				
3. मझौली	62.2				
4. जबलपुर	54.4				
5. कुण्डम	117.0				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं खरीफ फसल की बोनी व धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	35.8		4. (1) धान, मक्का, तिल, सोयाबीन, राहर, कोदो. (2) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. रीठी	21.0				
3. बड़वारा	60.0				
4. विजयराघवगढ़	156.5				
5. बहोरीबंद	83.4				
6. ढीमरखेड़ा	35.0				
7. बरही	60.0				

1	2	3	4	5	6
*जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गाडरवारा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. करेली	..		(2) ..		
3. नरसिंहपुर	..				
4. गोटेगांव	..				
5. तेन्दूखेड़ा	..				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	47.1		4. (1) धान, मक्का, कोदो, तुअर, तिल सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	125.7		(2) ..		
3. नैनपुर	43.3				
4. मण्डला	61.8				
5. घुघरी	41.3				
6. नारायणगंज	79.2				
*जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. डिण्डोरी	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. शाहपुरा	..		(2) ..		
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. छिन्दवाड़ा	127.8		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	131.0		(2)	
3. परासिया	97.2				
4. जामई (तामिया)	273.5				
5. सौंसर	128.6				
6. पांढुर्णा	88.8				
7. अमरवाड़ा	73.2				
8. चौरई	80.0				
9. बिछुआ	109.8				
10. हरई	87.6				
11. मोहखेड़ा	103.8				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	105.0		4. (1) धान, ज्वार, उड़द, कोदों-कुटकी, मूँगफली, सोयाबीन, सन कम. मक्का, तिल अधिक. तुअर, मूँग समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	51.8		(2) ..		
3. लखनादौन	92.3				
4. बरघाट	114.8				
5. कुरई	62.0				
6. घंसौर	61.0				
7. धनोरा	27.7				
8. छपारा	34.5				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	27.8		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	51.9		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. बैहर	49.0				
4. वारासिवनी	16.0				
5. कटंगी	136.5				
6. किरनापुर	..				

टीप.— *जिला दतिया, गुना, रतलाम, प.निमाड, बड़वानी, नरसिंहपुर, डिण्डोरी से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(643)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2013.